

निर्णयः

17/12
2019

पतावली आज प्रस्तुत हुई।
वकील डाक्टर अश्विनी अश्विनी
डाक्टर को इस न्यायालय
द्वारा दिनांक 18-1-2018 को
आदेशित किया गया था कि
प्रतिवादी संख्या 01 का जोरिस
का-का को जमाने पर को
वाजिल नहीं हो रहा है। अतः
वकील डाक्टर अश्विनी का
जोरिस इनके अखबार में
प्रकाशन करने वाकि ताजिल
प्रक्रिया पूरी हो गई। अतः वकील
डाक्टर अश्विनी के प्रकाशन
है जोरिस का प्रारंभ प्रक्रिया
अपने इतनी लम्बी अवधि
वकील को जमाने पर को
डाक्टर अश्विनी को और
इस न्यायालय आदेश की

सहायक कलेक्टर
एच डी खण्ड अधिकारी
दिल्ली

पालना नहीं की है लवना गांधी
आमलवार को प्रशासन करवाने
अवकाश नहीं करवाने के सम्बन्ध
में कोई प्राथमिकता प्रदायित नहीं
किया। इससे यह सम्भव जाये
ये ता है कि प्राथमिकता प्राथमिकता
प्रदायित करवाना ही नहीं चाल
है। प्रशासन अवकाश दिखे जाने
पर लवना प्राथमिकता सुमान्यतालय
आदेश की पालना नहीं की है।

अतः प्राथमिकता प्राथमिकता
प्रदायित अवकाश दिखे जाने
किया जाता है।

प्रशासकीय प्रशासन सुमान्यता
कमरे से लवना होकर कुल
प्रशासन द्वारा संख्या 23/2017
प्रशासन प्रशासन प्रशासन प्रशासन
प्रशासन अन्तर्गत द्वारा 53,
188 आदेशों द्वारा 1955
के आदेश संलग्न है।

निर्देश संख्या इजलास सुमान्यता
गया।

(श्रीराम कुमार)

सहायक कलेक्टर
एच उप खास कारी
दिल्ली